राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

सिक्सस्टार बनाम प्रदीप कुमार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	847/2025	
09.10.25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 10/10/2025 को पेश हो।	
10.10.25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलार्थी की अनुपस्थिति दर्ज करते हुये प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 16/05/2025 पारित कर तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया गया कि वह वाके ग्राम कुशलपुरा तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि आराजी खसरा नम्बर 38 लगा. 41. 43 लगा. 63 कुल खसरा किता 25 कुल रकबा 3.48 हैक्टेयर के विधिक विभाजन के सन्दर्भ में पक्षकारान को विधिवत पूर्व सूचित करते हुये व पक्षकारान के प्रावधानुसार उपयुक्त विभाजन(आवागमन व अन्य मूलभूत सुविधाओ को दृष्टिगत रखते हुये) करते हुये विभाजन प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा ट्रेस के निर्धारित प्रपत्र के तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 16/05/2025 से व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 1/अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि में रेस्पो. का हिस्सा 20 एयर है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर ही अपीलार्थी की अनुपस्थिति में प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 16/05/2025 पारित किये जाने में गम्भीर क़ानूनी त्रुटी कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो. द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका में कही भी ट्रेक रिपोर्ट प्राप्त हो जाने का अंकन नही किया है एवं ना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 30 दिवस का ईन्तजार कर प्रजम्शन लिये जाने को तामील का आधार बनाया गया है। तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी की अनुपस्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30/05/2025 को ही प्रेषित कर दिए गये। अपीलार्थी को रोड पर भूमि नही देकर रेस्पो. को रोड पर भूमि दी गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर प्राथमिक निर्णय व	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम हुक्म की ता. में जारी हुए
847/2025		

डिक्री दिनांक 16/05/2025 पारित किये जाने में गम्भीर क़ानूनी त्रुटी कारित की गयी है | अत: अपील स्वीकार फरमाई जावे |

अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये एवं सभी प्रतिवादीगण की तामील विधिवत रूप से करवाते हुये अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 16/05/2025 सही रूप से पारित की गयी है | जिसमे कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी नही है | अपीलार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज सहखातेदारों के दर्ज हिस्से के सम्बन्ध में कोई आपत्ति जाहिर नही की गयी है | अपीलार्थी ने केवल मात्र विभाजन के रोकने के उद्देश्य से यह अपील प्रस्तुत की गयी है | जिसमे कोई सार नही होने से अपील अपीलार्थी ख़ारिज फरमाई जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | दौराने बहस उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 16/05/2025 के माध्यम से तहसीलदार को आदेश प्रदान किये गये है कि वे वाके ग्राम कुशलपुरा तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि आराजी खसरा नम्बर 38 लगा. 41, 43 लगा. 63 कुल खसरा किता 25 कुल रकबा 3.48 हैक्टेयर के विधिक विभाजन के सन्दर्भ में पक्षकारान को विधिवत पूर्व सूचित करते हुये व पक्षकारान के प्रावधानुसार उपयुक्त विभाजन(आवागमन व अन्य मूलभूत सुविधाओ को दृष्टिगत रखते हुये) करते हुये विभाजन प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा ट्रेस के निर्धारित प्रपत्र के तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे, जिससे कोई विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में एवं दौराने बहस भी केवल मात्र तामील के बिन्दु के सम्बन्ध में आपत्ति जाहिर की गयी है तथा अपीलार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी) में दर्ज सहखातेदारान के हिस्से के सम्बन्ध में कोई आपत्ति पेश नही की गयी है, जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसरण में विचारण न्यायालय को राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी) में दर्ज सहखातेदारान के हिस्से को विभाजित किये जाने हेतु ही प्राथमिक निर्णय व डिक्री के माध्यम से कुर्रेजात तैयार करवाये जाने के आदेश प्रदान किये जाने होते है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 16/05/2025 में कोई त्रुटी जाहिर नही होती है | जहाँ तक अपीलार्थी को कुर्रेजात तैयार करते वक्त सुना जाने का तथ्य है, उचित प्रतीत होता है | अत: प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

सिक्सस्टार बनाम प्रदीप कुमार

847/2025

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

वे दोनों पक्षों की उपस्थिति में तहसीलदार से पुन: कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करवाया जाना सुनिश्चित कर, बाद प्राप्ति कुर्रेजात रिपोर्ट दोनों पक्षों को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्राप्त आपत्तियों का विवेचनात्मक निस्तारण करते हुये अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करे। तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 10/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर